रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 22 सितम्बर, 1987/31 भाद्रपद, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

शिमला-1, 17 जून, 1987

संख्या पी०सी०एच०-एस०एम०एल०(4)/86-1740.—क्योंकि ग्राम सभा नकराडी ने अपने प्रस्ताव संख्या-1, दिनांक 23-11-85 तथा 23-11-86 द्वारा यह सिफारिश की है कि ग्राम सभा नकराडी का मुख्यावास, ग्राम नकराडी से बदलकर ग्राम झडग (इन्द्रावन) में निश्चित किया जावे।

क्योंकि विकास खण्ड अधिकारी जुब्बल-कोटखाई की रिपोर्ट के अनुसार भी यह जनहित में होगा कि ग्राम पंचायत का मुख्यावास नकराडी से बदलकर झडग (इन्द्रावन) रखा जावे। जहां पहले ही स्कूल, पटवारखाना, स्वास्थ्य उप-केन्द्र तथा पंचायत घर का निर्माण भी किया गया है तथा लोगों के सभी कार्य एक ही स्थान पर हो जाते हैं तथा लोगों को सुविधा हो जायेगी।

अतः मैं, जे0 पी0 नेगी, उपायुक्त, जिला शिमला, उन शक्तियों के अधीन जो मुझे ग्राम पंचायत नियम 10(2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं ग्राम सभा नकराडी का मुख्यावास स्थान नकराडी से बदलकर स्थान झडग (इन्द्रावन) निश्चित करने के आदेश देता हूं।

जे0 पी0 नेगी,
उपायुक्त, शिमला।

कार्यालय आयुक्त (हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत) एवं जिलाधीश, ऊना

आदेश

ऊना, 2 जुलाई, 1987

संख्या 5445-70/विविध.—हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तायुक्त एवं सचिव (भाषा एवं संस्कृति) की अधिसूचना संख्या भाषा-क(3)-3/85, दिनांक 20-1-87 तथा हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था व पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 5(1) द्वारा मुझ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राजमणि त्रिपाठी, आयुक्त निम्नलिखित व्यक्तियों का चिन्तपुर्णी मन्दिर कमेटी से त्याग-पत्र को स्वीकार करता हूं :—

1. श्री बाल कृष्ण सुपुत्र श्री किरपा राम, निवासी चिन्तपुर्णी।
2. श्री राम देव सुपुत्र श्री मुरारी लाल, निवासी चिन्तपुर्णी।
3. श्री देस राज कालिया सुपुत्र श्री छोटे लाल, निवासी चिन्तपुर्णी

इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, निम्नलिखित व्यक्तियों को उपरोक्त रिक्त स्थानों पर चिन्तपुरणी मन्दिर कमेटी के सदस्य नियुक्त करता हूं :—

1. श्री कैलाश चन्द कालिया सुपुत्र श्री पिरथी चन्द, निवासी चिन्तपुर्णी।
2. श्री मनोहर लाल कालिया सुपुत्र श्री बालक राम, निवासी चिन्तपुर्णी।
3. श्री जमुना दास सुपुत्र श्री रला राम, निवासी चिन्तपुर्णी।

ऊना, 13 जुलाई, 1987

संख्या 6047-72/विविध.—हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तायुक्त एवं सचिव (भाषा एवं संस्कृति) की अधिसूचना संख्या भाषा-क(3)-3/85, दिनांक 20-1-87 तथा हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था व पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 5(1) द्वारा मुझ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राजमणि त्रिपाठी, आयुक्त निम्नलिखित व्यक्तियों का चिन्तपुर्णी मन्दिर कमेटी से त्याग-पत्र को स्वीकार करता हूं:—

1. श्री मनोहर लाल पुत्र श्री बालक राम, निवासी चिन्तपुर्णी।
2. श्री जमना दास पुत्र श्री रला राम, निवासी चिन्तपुर्णी।

3. श्री केवल कृष्ण पुत्र श्री मोती राम, प्रधान, ग्राम पंचायत छपरोह को उसकी मन्दिर कमेटी में बतौर मैम्बर काम न करने की इच्छा तथा अन्य अवांछनीय गतिविधियों के कारण कमेटी से निकाला जाता है ।

इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को उपरोक्त रिक्त स्थानों पर चिन्तपुर्णी मन्दिर कमेटी के सदस्य नियुक्त करता हूं :--

1. श्री केहर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत धर्मशाला महन्तां ।
2. श्री सुरेन्द्र, प्रधान, ग्राम पंचायत जवाल ।
3. श्री पुष्पिन्द्र सिंह, नम्बरदार, नारी (चिन्तपुर्णी) ।

राजमणि त्रिपाठी,
आयुक्त,
(हि0 प्र0 हिन्दू सार्वजनिक
धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास
अधिनियम 1984 के अन्तर्गत) एवं
जिलाधीश ऊना ।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, जून, 1987

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5).--क्योंकि श्रीमती वती देवी विधवा श्री प्रकाश चन्द ने उप-प्रधान ग्राम पंचायत मैलन पर निम्नलिखित आरोप लगाए हैं ।

यह कि श्रीमती वती देवी के पति जो कि आबकारी तथा कराधान विभाग से बतौर लिपिक कार्यरत थे की जीप दुर्घटना से मृत्यु हो गई ।

यह कि उनके ससुर श्री भगत राम ने श्रीमती वती देवी से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा कर उनके सारे अधिकार छीनकर सारे पैसे अपने नाम करवा लिए तथा वह दस-बारह हजार रुपए एक्स ग्रेशिया ग्रांट भी ले चुके हैं।

यह कि श्री भगत राम के नाम सभी अधिकार देने सम्बन्धी सभी कागजात श्री लाल चन्द, ग्राम पंचायत मैलन ने प्रमाणित किया है तथा श्री जीत राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड रामपुर भी इस षडयंत्र में संलिप्त लगते हैं ।

उपरोक्त तथ्य की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), रामपुर को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं । वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश, शिमला के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

शिमला-2, 10 जून, 1987

संख्या पी0पी0एच0-एच0ए0(5)213/76.--क्योंकि ग्राम पंचायत संधोल, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अंकेक्षण अवधि 4/83 से 3/86 में श्री अमर सिंह, प्रधान (नि0) पंचायत निधि के दुरुपयोग में संलिप्त लगते हैं ।

1. श्री अमर सिंह उक्त प्रधान (निलम्बित) ने 11/83 से 2/86 तक 8,740.00 रुपये पंचायत निधि से अनाधिकृत अग्रिम धन प्राप्त किया तथा जिसका दुरुपयोग किया ।

2. भूतपूर्व प्रधान श्री परस राम ने सभा निधि से 2/84 से 9/85 तक 12,653.00 रुपये अनाधिकृत धन प्राप्त किया जिसकी वसुली हेतु श्री अमर सिंह ने कोई भी प्रयास नहीं किए हैं जिस कारण सभा निधि का दुरुपयोग हो रहा है ।

3. श्री अमर सिंह प्रधान (नि0) के पास अंकेक्षण की दिनांक 23-1-87 को नकद 1765.40 रुपए अनाधिकृत नकद शेष था जिसका उस द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है ।

4. श्री परमा नन्द, सचिव जो अब ग्राम पंचायत कोठुंआ तथा दतवाड़ पंचायत में कार्यरत हैं से नकद शेष 340.80 रुपये की वसुली हेतु उक्त प्रधान (नि0) ने वर्ष 1986 से कोई भी प्रयास नहीं किए हैं।

5. पंचायत स्टाक से 15 बोरी सिमेन्ट 29-9-76 से उधार दी गई परन्तु जिसकी वसुली बारे बारम्बार आग्रह करने पर भी उक्त प्रधान (नि0) द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की है ।

6. अंकेक्षण के उपरांत उक्त प्रधान (नि0) ने अपने नाम 15,000.00 रु0 ट्राईसम की दुकानों के निर्माण हेतु अग्रिम धन अनाधिकृत रूप से लिया है ।

और क्योंकि उक्त आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है ।

अत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत उप-सम्भागीय अधिकारी (नागरिक), सरकाघाट को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं । जांच अधिकारी इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट इस विभाग को जिलाधीश मण्डी की टिप्पणियों सहित प्रस्तुत करेंगे।

हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव ।

शिमला-2, 4 जुलाई, 1987

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 36/81.—क्योंकि श्री मिलखी राम, पंच, ग्राम पंचायत डंगार, जिला बिलासपुर 26-2-86 से ग्राम पंचायत की बैठकों से लगातार अनुपस्थिति रहने का आरोप था ।

क्योंकि उक्त आरोप की वास्तविकता जानने के लिए नियमित जांच उप-मण्डल दण्डाधिकारी घुमारवीं से करवाई गई ।

क्योंकि जांच उपरांत उक्त पंच, गृह रक्षा 5वी वाहिनी बिलासपुर का सदस्य है परन्तु कर्मचारी नहीं हैं बल्कि एक बालन्टियर है तथा उसकी अनुपस्थिति अपनी इच्छा से नहीं रही है ।

अत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उक्त पंच को भविष्य में पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेने तथा अनुपस्थित रहने की दशा में ग्राम पंचायत को पूर्व सूचना देने के लिए सावधान रहने की चेतावनी देने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

शिमला-2, 10 अगस्त, 1987

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-75/79.—क्योंकि श्री प्रताप चन्द, पंच, ग्राम पंचायत बण्डी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा ने श्रीमती स्वर्णा देवी, पंच, ग्राम पंचायत बण्डी को पंचायत बैठकों से अनुपस्थिति हेतु पंच पद से हटाने बारे प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 23-5-86 अतिरिक्त जिलाधीश के कार्यालय में (गलत प्रस्ताव, क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव पंचायत द्वारा पारित ही नहीं किया गया था), दिया;

क्योंकि इस मामले में जांचोपरांत खण्ड विकास अधिकारी ने यह सूचित किया है कि उक्त प्रस्ताव पंचायत द्वारा पारित ही नहीं किया गया परन्तु इसको तैयार करने में उक्त श्री प्रताप चन्द का हाथ था जिन्होंने धोखा धड़ी से उक्त प्रस्ताव में अन्य दो पंचों के हस्ताक्षर भी करवाए;

और क्योंकि उक्त आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए नियमित जांच का करवाना अनिवार्य है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत श्री प्रताप चन्द, पंच, ग्राम पंचायत बण्डी के विरुद्ध लगे आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), कांगड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त करने के सहर्ष आदेश देते हैं वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश, कांगड़ा के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव।

शिमला-2, 14 जुलाई, 1987

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(3)2/76-II.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 55 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला सिरमौर की विकास खण्ड पच्छाद तथा पांवटा की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों को अधिक्रमण (सुपरसीड) करने का सहर्ष आदेश देते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10(2) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत इन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 8-5-87 से समाप्त हो चुका है जिसे और आगे बढ़ाया नहीं जा सकता।

क्र0सं0	पंचायत का नाम	विकास खण्ड का नाम
1.	बद्रीपुर	पांवटा
2.	भाटावली	पांवटा
3.	राजगढ़	पच्छाद

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 55(सी) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना तथा कार्य आरम्भ करने के समय तक के लिए, ग्राम पंचायत, बद्रीपुर तथा भाटावली के लिए तहसीलदार पांवटा को तथा ग्राम पंचायत राजगढ़ के लिए तहसीलदार, राजगढ़ को ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने तथा उन्हें निभाने हेतु प्रशासक नियुक्त करने का भी सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

शिमला-2, 16 जुलाई, 1987

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-22/86.--क्योंकि श्री हम्मीद मुहम्मद, प्रधान, ग्राम पंचायत प्लयूर, विकास खण्ड चम्बा, निरीक्षण के दौरान विभिन्न पंचायत निधि के अनुदानों के दुरुपयोग में संलिप्त हैं;

कि श्री हम्मीद मुहम्मद ने 11,000 रुपये की राशि स्कूल भवन टिपरा के निर्माणार्थ 14-2-84 को 4,000 रुपए, 28-3-84 को 5,000 रुपये तथा 4-5-84 को 2,000 रुपये स्वयं प्राप्त कर के 14-2-84 से 15-5-85 तक अनुचित रूप से रख कर उनका दुरुपयोग किया है;

कि 1/84 का जो मस्ट्रोल 3,266.46 रुपए का पड़ा है उस पर सिवाए एक के सभी 26 मजदूरों के अंगूठे लगे हैं जबकि उनमें से कुछ मजदूर पढ़े लिखे हैं जो मजदूरी प्राप्त करते समय कभी अंगूठा नहीं लगाते । दूसरे इस मस्ट्रोल से सम्बन्धित व्यय का इन्द्राज रोकड़ बही में 24-8-85 को हुआ है जबकि अदायगी 16-5-85 को हुई है । अतः यह बात सिद्ध होती है कि 16-5-85 से 24-8-85 तक इस धन राशि का दुरुपयोग होता रहा है और क्यों 1/84 में हुए कार्य की अदायगी 8/85 में हुई है यह बात स्पष्ट नहीं ;

यह कि टिपरा पाठशाला का 2/84 का मु0 2,942.25 रुपये का मस्ट्रोल भी इसलिए जाली लगता है कि इस में शकूर्दीन मजदूर ने अंगूठा लगाया है जबकि 1/84 के मस्ट्रोल में इसी मजदूर ने हस्ताक्षर किए हैं । दूसरे पहले इस मस्ट्रोल में कवल 11 मजदूरों का हवाला था जो बाद में 13 कर दिया है इस तरह इन दो मजदूरों को 26 दिन की मजदूरी अनुचित रूप से दी गई है । क्यों 2/84 में हुए कार्य की मजदूरी की अदायगी 8/85 में हुई है यह बात भी स्पष्ट नहीं लगती है कि इस राशि का भी 5/85 से 8/85 तक दुरुपयोग होता रहा है ;

यह कि मस्ट्रोल मास दिसम्बर, 1984 के अधीन रघुराम मेसन तथा सन्त राम कारपैन्टर को 30 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी 430 रुपये दी गई जबकि मार्च-अप्रैल, 1984 के अन्तर्गत श्री रघु राम को 15 रुपये की दर से मजदूरी दी जाती रही है । इस प्रकार प्रधान ने दोनों व्यक्तियों को 15 रुपये की दर से अधिक मजदूरी दे कर पंचायत के धन का अनुचित लाभ इन व्यक्तियों को पहुंचाया ;

यह कि उपरोक्त मस्ट्रोल इसलिए भी जाली है क्योंकि सचिव श्री बाल कृष्ण के ब्यान के मुताबिक हुए 14-5-85 को प्रधान के आदेशानुसार एक ही दिन तैयार किए गए हैं ;

और क्योंकि प्रधान को इस कार्यालय के समसंख्यक कार्यालय आदेश, दिनांक 21 जनवरी, 1987 के अन्तर्गत निलम्बन का कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिस पर प्रधान से प्राप्त उत्तर असन्तोषजनक पाया गया ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत श्री हम्मीद मुहम्मद, प्रधान, ग्राम पंचायत प्लयूर को उनके पद से निलम्बित करने का सहर्ष आदेश देते हैं कि हम्मीद मुहम्मद अपना कार्यभार तुरन्त उप-प्रधान, ग्राम पंचायत प्लयूर को सौंपेंगे ।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उक्त नियम की धारा 54 के अन्तर्गत श्री हम्मीद मुहम्मद के खिलाफ उपरोक्त आरोपों की नियमित जांच के लिए उप-सम्भागीय अधिकारी (नागरिक) चम्बा को जांच अधिकारी नियुक्त करने का भी सहर्ष आदेश देते हैं । वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश चम्बा के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे ।

शिमला-2, 13 जुलाई, 1987

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-7/83.--क्योंकि श्री प्रेम पाल सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत लाना भालटा, जिला सिरमौर ने पिछले कार्यकाल में अपने राशन कार्ड नं0 30/81 जिसके सात सदस्य थे को 13 सदस्य दिखा कर

6 मैम्बरों की लेवी चीनी अधिक लेता रहा तथा इसी प्रकार सर्वश्री रामदत्त व हरिपत के झूठे कार्ड सं0 81 व 82 बनवा कर भी स्वयं लेवी चीनी प्राप्त करता रहा जबकि उनके असली राशन कार्ड मानगढ़ पंचायत घर में बने हुए थे । इस कृत्य के लिए उक्त प्रधान के विरुद्ध दो केस एफ0 आई0 आर0 4/82-I भा0 द0 सं0 की धारा 406 तथा 4/82-II अनिवार्य सामग्री अधिनियम (ई0सी0ऐक्ट) की धारा 3/7 के अन्तर्गत एन्फोर्समैण्ट (enforcement) विभाग शिमला में दर्ज हुए, जो अभी तक माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी, राजगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन है ;

क्योंकि परियोजना अधिकारी, सिरमौर द्वारा अग्रणी बैंक अधिकारी यू0को0 बैंक की जांच/सूचना के आधार पर श्री प्रेमपाल सिंह ने डी0 आर0 आई0 के अन्तर्गत वर्ष 1978 में 1980 के मध्य अपने नाम तथा अपने सम्बन्धियों के नाम इस योजना के अन्तर्गत यू0को0 बैंक, नाहन तथा राजगढ़ से दोनों ही शाखा से एक जैसे ऋण झूठे दस्तावेज प्रस्तुत कर के प्राप्त किए हैं तथा स्वयं को लाभान्वित कर के अपने पद का दुरुपयोग किया है ;

और क्योंकि उक्त तथ्य के दृष्टिगत उक्त श्री प्रेमपाल सिंह के प्रधान पद पर बने रखना जनहितार्थ नहीं।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री प्रेमपाल सिंह, प्रधान, को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने का सहर्ष आदेश देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत निलम्बित किया जाये । उनका उत्तर जिलाधीश, सिरमौर के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को पहुंच जाना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह अपने पक्ष में कुछ कहना नहीं चाहते ।

हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।